१५.१२.१८

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता रानी देवी न्यायालय में उपस्थित है। पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० हेतु नियत है।

अभियोजन पक्ष के व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० प्रस्तुत करके अभियुक्ता रानी देवी की पुत्री विद्यावती को विचारण हेतु तलब किये जाने की माँग की गयी है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रसारित किया गया है। शासकीय अधिवक्ता एवं वादी के व्यक्तिगत अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में वादी मनोज कुमार के द्वारा दिनांक ०५.०६.२०१४ को उसकी बहन रजनी की मृत्यु होने के सम्बन्ध में निम्न तहरीर दी गयी है–

''*प्रार्थी की बहन रजनी पत्नी श्री धनराज निवासी कुल्ही, थाना खखरेरू, जनपद फतेहपुर के साथ लगभग सत्रह वर्ष पहले शादी हुयी थी। प्रार्थी की बहन उम्र लगभग ३७ वर्ष के तीन लड़कियां एवं तीन लड़के हैं, जो कि सभी नाबालिक है। प्रार्थी की बहन रजनी से जेठानी रानी देवी पत्नी चन्द्रभवन उर्फ मुन्ना से आये दिन झगड़ा फसाद एवं मारपीट करती रहती थी। दिनाक ०२.०६.१४ को पुनः झगड़ा किया। आज दिनांक ०५.०६.१४ को दिन बृहस्पतिवार लगभग दस बजे जेठानी रानी पत्नी चन्द्रभवन उर्फ मुन्ना, मेरी बहन की गला दबाकर हत्या करके आग लगाकर जला दिया है। मौके पर मेरी बहन की जीभ निकली हुयी थी। आग से कई मकान भी जल गये है।*''

उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विद्यावती का कोई उल्लेख स्वयं वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है। केस डायरी के साथ मृतका रजनी की पुत्री कलावती देवी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति भी संलग्न है। उक्त में यह कथन किया गया है कि तभी उसकी बड़ी माँ रानी पत्नी पत्नी चन्द्रभवन उर्फ मुन्ना अपनी बेटी विद्यावती लगभग १३ वर्ष के साथ घर में घुसी और उसकी माँ का गला दबाने लगी। उसकी बेटी मेरी ओर दौड़ी तो मैं खाना छोड़कर घर के बाहर चिल्लाकर भागी। उक्त प्रार्थनापत्र में भी विद्यावती देवी का तथाकथित घटना में कोई विशिष्ट रोल अथवा अंशदान नहीं बताया गया है। मात्र इतना कथन किया गया है कि वह अपनी माँ के साथ उपस्थित थी। स्वयं प्रार्थनापत्र में घटना के समय विद्यावती की उम्र लगभग १३ वर्ष होने का कथन किया गया है। स्वीकृत रूप से वादी मुकदमा साक्षी पी०डब्लू०–१ मनोज कुमार घटना के समय मौजूद नहीं था और उसने अपनी मुख्य परीक्षा में जो कथन किया है कि वह सुनी–सुनायी बातों पर किया है।

इस स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **प्रसन्न कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० ए०सी०सी० २०१०(७१) पेज २११** एवं **भागीरथ आर्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० ए०सी०सी० २००८(६१) पेज ८५३** में प्रतिपादित सिद्धान्तों तथा दं०प्र०सं० की धारा–३१९ के बिन्दु पर प्रतिपादित विधि व्यवस्था **राम सिंह बनाम रामनिवास ए०सी०सी० २००९(६५) पेज ९७१ एवं वृन्दावन दास बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल ए०सी०सी० २००९(६६) पेज २७३ में प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी अवलोकन किया।**

यह तथ्य स्वयं अभियोजन पक्ष को भी स्वीकार है कि तथाकथित घटना के समय विद्यावती की उम्र लगभग १३ वर्ष थी और वह अवयस्क थी। घटना में उसका कोई विशिष्ट रोल नहीं बताया गया है।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० आधारहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक १०.०१.२०१९ को पेश हो।

तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।